न्यायालय अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश (SC/ST(PA)Act), सिद्धार्थनगर।

UPSD010004022024

Warrant or Summons Criminal Case/63/2024

1. किसलावती पत्नी हरिश्चन्द्र

साकिन टाउन एरिया गड़ाकुल पोस्ट व थाना शोहरतगढ़, जिला सिद्धार्थनगर।

बनाम

1. गणेश अग्रहरि पुत्र बंशीधर
2. उजाला पत्नी गणेश अग्रहरि

साकिनान पकड़ी थाना शोहरतगढ़, जिला सिद्धार्थनगर।

दिनांक–10–03–2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर परिवादिनी अनुपस्थित है। परिवादिनी की ओर से कोई स्थगन भी नहीं दिया गया है। पत्रावली पुनः लंच बाद पेश हो।

दिनांक–10–03–2026(लंच बाद)

पत्रावली पुनः लंच बाद 2.15 बजे पेश हुई। पुकार पर परिवादिनी या उसके विद्वान अधिवक्ता अनुपस्थित हैं। परिवादिनी की ओर से कोई स्थगन भी नहीं दिया गया है। पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत परिवाद में परिवादिनी ने विपक्षीगण पर दिनांक 13.01.2024 को 08.00 बजे रात अपने सिलाई की दूकान पर आने तथा परिवादिनी द्वारा उनसे बकाया सिलाई का पैसा मांगने पर उनके द्वारा परिवादिनी के साथ गाली–गलौज कर मारपीट करने तथा दूकान में रखे आठ हजार रूपये निकाल लिये जाने की शिकायत की गयी है तथा घटना को मनोज कुमार श्रीवास्तव, महात्मा चौहान व अन्य बहुत से लोगों द्वारा देखे जाने का कथन किया गया है।

वादिनी के द्वारा अपने धारा 200 दं०प्र०सं० के बयान में यह बताया गया है कि विपक्षीगण अपना कपड़ा सिलाने के बहाने उसके दूकान पर आए थे व पहले से उधार तीन सौ रूपये अदा करने की बात कहने पर वे परिवादिनी के साथ मारपीट करने लगे तथा अपने 200 दं०प्र०सं० के बयान में परिवादिनी ने आठ हजार रूपये भी अभियुक्तगण द्वारा चुरा ले जाने का कथन किया है।

स्पष्ट है कि मुख्य विवाद सिलाई के बकाया पैसे की अदायगी का है व मात्र तीन सौ रूपये बकाया होने के संदर्भ में वाद–विवाद हुआ जो यह स्पष्ट करता है कि अभियुक्तगण को उसकी जाति को लेकर अपमानित करने के लिए उसकी दूकान पर नहीं आए थे बल्कि कपड़े ले जाने आए थे। चूंकि परिवादिनी ने परिवाद के समर्थन में कोई चोटिल आख्या भी दाखिल नहीं की है, इससे मारपीट के कथन का समर्थन नहीं होता तथा आठ हजार रूपये परिवादिनी ने अपने काउन्टर पर रखे होने के संदर्भ में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है व चूंकि घटना के कई साक्षी होने का दावा परिवादिनी ने परिवाद में किया है परन्तु कई अवसर दिये जाने के बावजूद भी परिवादिनी द्वारा

Digitally signed by MANOJ KUMAR TIWARI
Date: 2026.03.10 16:31:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

स्वतंत्र साक्षियों को प्रस्तुत नहीं किया गया है व उनके बयान अन्तर्गत धारा 202 दं०प्र०सं० अंकित नहीं कराये गये हैं। अतः जबकि घटना का समर्थन करने हेतु स्वतंत्र साक्षी प्रस्तुत नहीं किये गये हैं व परिवादिनी विगत कई तिथियों से अनुपस्थित है। आज भी उसकी ओर से कोई स्थगन प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त समस्त विश्लेषण के आधार पर विपक्षीगण को प्रथम दृष्टया तलब किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है तथा प्रस्तुत परिवाद अन्तर्गत धारा 203 दं०प्र०सं० निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रस्तुत परिवाद अन्तर्गत धारा 203 दं०प्र०सं० निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनॉकः–10–03–2026

(मनोज कुमार तिवारी–I)
अपर जिला एवं सत्र/विशेष न्यायाधीश
(SC/ST(PA)Act), सिद्धार्थनगर।
जे०ओ० कोड UP 1736